



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30052026-272964  
CG-DL-E-30052026-272964

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 362]  
No. 362]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2026/ज्येष्ठ 8, 1948  
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2026/JYAISTHA 8, 1948

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2026

फा. सं. 6(1)95- नालसा.— कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (1987 का 39) की धारा 3-अ के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश माननीय श्रीमती न्यायमूर्ति बैंगलोर वेंकटरामय्या नागरत्ना को 29.06.2026 से उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष नामित करता है और दिनांक 09.2.2000 की अपनी अधिसूचना सं 115 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करता है अर्थात:-

उक्त अधिसूचना के क्रम संख्या 1 और उससे संबद्ध प्रवृष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:-

- श्रीमती न्यायमूर्ति बैंगलोर वेंकटरामय्या नागरत्ना - अध्यक्ष  
न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय

संजीव पाण्डेय, सदस्य सचिव  
[विज्ञापन-III/4/असा./131/2026-27]

**NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY****NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th May, 2026

**F. No. 6(1)95-NALSA.**— In exercise of the powers conferred by Section 3A of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987), Hon'ble the Chief Justice of India is pleased to nominate **Hon'ble Smt. Justice Bangalore Venkataramiah Nagarathna**, Judge, Supreme Court of India, as Chairman of the Supreme Court Legal Services Committee with effect from 29.06.2026 and makes the following amendment in its Notification No. S.O.115(E) dated 09.02.2000 namely:-

In the said Notification, for the serial number (1) and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely: -

1. **“SMT. JUSTICE BANGALORE VENKATARAMIAH NAGARATHNA – CHAIRMAN”**  
Judge, Supreme Court of India.

SANJIV PANDEY, Member Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./131/2026-27]